फा.सं. 25–23/2015, फार्म एक्शन प्लान

दिनांक 16.06.2020

:: निविदा सूचना ::

निविदा प्राप्त की अंतिम तारीख 30 जून 2020 शाम 3.00 बजे तक ।

एतद् द्वारा संस्थान के फार्म पर लगभग 10–12 एकड़ प्रक्षेत्र में धान रोपाई के लिये समस्त कृषि श्रमिको व ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में निम्नलिखित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है इस कार्य के संबंध में विस्तृत विवरण संस्थान की Web Site fmtti budni.gov.inसे डाउन लोड कर के प्राप्त की जा सकती है अथवा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर सोमवार से शुकवार तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 से 5 बजे शाम तक संबंधित अनुभाग (फार्म अनुभाग) से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कमांक	कार्य का विवरण	धान रोपाई का क्षेत्र
1.	फार्म में पटलिंग किये प्लाटो में धान की रोपाई कार्य जिसमें रोपा निकालना, ढुलाई, व उवर्रक छिड़काव भी शामिल है।	लगभग 10–12 एकड़ क्षेत्र में किया जाना है।

कार्य की शर्ते :–

1. निविदा बंद लिफाफा में तथा उसके ऊपर कार्य कमांक एवं फाईल संख्या अवश्य दर्शाये अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
2. निविदा की दर प्रति एकड़ के अनुसार देना होगा। यह दर फार्म अनुभाग की धान रोपाई 10 अगस्त 2020 तक वैध रहेगी ।
3. उपरोक्त कार्य के लिये समान दर/रेट होने पर एक से अधिक श्रमिक ठेकेदारों को कार्य ठेका दिया जा सकता है। तथा रेट के लिए न्यूनतम दर देने वालो से नेगोशियेशन भी किया जा सकता है।
4. प्रति वर्ग मीटर एरिया में 50 हिल होना अनिवार्य है तथा प्रति हिल में कम से कम दो से तीन पौध लगाया जाना सुनिश्चित करना होंगा ।
5. प्रति वर्ग मीटर 50 हिल नहीं होने की दशा में उसी अनुपात से राशि प्रति एकड़ दर से कम करके भुगतान किया जायेगा ।
6. निविदा की अन्य कार्य की शर्ते पृष्ठ कमांक 2 पर उपलब्ध है।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक महोदय के पास सुरक्षित है।

17.6.20

कृते निदेशक

प्रतिलिपि :– वरिष्ठ उपकरण अभियंता संस्थान की Web Site पर प्रकाशित करें ।

IE

KRL
17-6-2020

फा.सं. 25–23/2015, फार्म एक्शन प्लान दिनांक 08.07.2019

:: कार्य की शर्तें ::

1. धान की पौध नर्सरी से बिना क्षतिग्रस्त किये उखाड़ना होगा । तथा उसे निर्धारित प्लाटो में 4" की दूरी और 6" से कतार की दूरी पर तथा सतह से 1" से 2" गहराई पर दो से तीन पौधे की रोपाई करनी होगी ।
2. प्रति वर्ग मीटर एरिया में 50 हिल होना अनिवार्य है तथा प्रति हिल में कम से कम दो से तीन पौध लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा ।
3. प्रति वर्ग मीटर 50 हिल नहीं होने की दशा में उसी अनुपात से राशि प्रति एकड़ दर से कम करके भुगतान किया जायेगा ।
4. रोपाई से पूर्व पटलिंग किये खेतों में संस्थान द्वारा प्रदत्त उर्वरक की सम्पूर्ण मात्रा को समान रूप से छिकाव करना होगा ।
5. रोपाई का कार्य शुरू करने के पश्चात् किसी भी परिस्थतियों में कार्य बंद नहीं किया जायेगा ।
6. प्रतिदिन कम से कम 3 एकड़ धान की रोपाई करना होगा ।
7. कार्य के दौरान ठेकेदार के साथ कार्य करने वाले लेबर को अप्रत्याशित घटना के लिए निविदा दाता स्वंय जिम्मेदार होगा ।
8. कार्य आदेश देने के पश्चात् सभी कार्य फार्म अनुभाग के दिशा निर्देशन में करना होगा । और कार्य संतोषजनक होने पर बिल का भुगतान किया जायेगा ।
9. यदि निविदादाता किसी कारण से बीच में कार्य छोड़कर चला जाता है। अथवा लापरवाही बरतता है तो उसके टैण्डर को निरस्त कर दिया जायेगा और उसे कियें गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
10. रोपाई रूपये प्रति एकड़ दर से सादे कागज पर शील बंद निविदा दिनांक 30 जून 2020 तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध टैण्डर बाक्स में सांय 3.00 बजे तक डाल सकते है।
11. निविदा खोलने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो न्यूनतम निविदा दाता से निगोशियेशन किया जायेगा।
12. उपरोक्त कार्य के लिए न्यूनतम लागत दर्शाने बाले ठेकेदार को कार्य दिया जायेगा। निविदा उन्हीं की स्वीकार की जायेगी जिन्होंने पूर्व में रोपाई का कार्य किया हो ।
13. कार्य की अन्य शर्ते कार्य आदेश में निहित होगी । सर्विस टैक्स इत्यादि स्वंय को वहन करना होगा ।
14. श्रम संबंधी सभी नियमों का पालन स्वंय को करना होगा । कार्यालय इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा । साथ ही जमानत राशि 5,000/– कार्यालय में जमा करना होगा ।
15. अतः अगर ठेकेदार से कोई भी ठेके से संबंधी सूचना मॉगे जाने पर उसको उपलब्ध करना होगा।
16. निदेशक महोदय को यह अधिकार होगा किवे किसी भी निविदा को विना कारण बताये अस्वीकार कर सकते है।

12.6.20

कृते निदेशक